**मूल हिंदी में**

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 148**
21.06.2019 को उत्तर के लिए

**सड़क निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि का विपथन**

**148. श्री गोपाल शेट्टी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से वेलोशी से सीतामल सड़क के एक भाग के रूप में सतारा जिले में फल्टन-कुशवली-दलवाड़ी-उपलेव-वेलोशी-कुलक जई सड़क के निर्माण हेतु 8.54 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के विपथन को पर्यावरणीय मंजूरी देने से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) और (ख) जी नहीं, इस मंत्रालय को सतारा जिले में वेलोशी से सीतामाई मंदिर घाट सड़क के भाग के रूप में फल्टन-कुरावली-दलवाड़ी-उपलेव-वेलोशी-कुलकजई सड़क के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दिनांक 05.03.2013 के अपने पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा से महाराष्ट्र के सतारा जिले में फल्टन-कुरावली-दलवाड़ी-उपलेव-वेलोशी-कुलकजई सड़क के निर्माण हेतु 8.54 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के विपथन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस मंत्रालय के नागपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य अंचल) ने इस परियोजना को दिनांक 10.07.2015 के अपने पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन प्रदान किया।

******